Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण

संख्या :– 16 /2020

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रार्थना पत्र

अनवान तहसीलदार बनाम ग्राम पंचायत लौटोती

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2020	तहसीलदार उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act. 1956 के तहत् पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–लौटोती, पटवार हल्का लौटोती, तहसील–जैतारण में स्थित भूमि ख. न. 630/8 जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान के मध्य जिन खसरो मे रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा खातेदारों के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर हैं तथा नक्शा अनुरूप खसरों का रकबा मिलान नही होता हैं। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरूस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश हैं। ग्राम लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 630/8 रकबा 23–00 बीघा की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन हैं कि निम्नानुसार रिकार्ड दुरस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मौजा–लौटोती में स्थित भूमि ख.न. 630/8 जमाबन्दी में आबादी भूमि के रुप में दर्ज हैं। पटवारी हल्का लौटोती ने मौका स्थिति की मौका फर्द तैयार कर निवेदन किया कि ग्राम लौटोती के खसरा नम्बर 630 में से दो बार आवादी भूमि का आबंटन हुआ था। जिसमें दिनांक 26/12/1978 को 15–00 बीघा एवं दिनांक 22/07/1989 को 8–00 बीघा भूमि आवादी हेतु आबंटन हुई थी। उक्त आवंटन अलग–अलग जगहों पर था, मगर संवत् 2053–2056 की जमाबंदी बनाते वक्त तत्त्कालीन पटवारी ने खसरा नम्बर 630 में से 15–00 बीघा व 08–00 बीघा को सम्मिलित करते हुए कुल रकबा 23–00 बीघा एक करके दर्शा दिया था जो गलत इन्द्राज हैं। जिसकी दुरुस्ती की जानी उचित हैं। जिसके लिए प्रस्तावित प्रस्ताव तैयार कर वास्ते दुरुस्ती प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उक्त त्रुटि लिपिकीय भूल से होनी प्रतीत होती हैं। उक्त गलत प्रविष्टि के इन्द्राज को दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। मौजा–लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में स्थित आबादी भूमि ख.न. 630/8 जमाबन्दी में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का, भू.अ.निरीक्षक निम्बोल एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार ग्राम लौटोती के खसरा नम्बर 630/8 रकबा 23–00 बीघा गै.मु. आवादी के स्थान पर खसरा नम्बर 630/8 रकबा 15–00 बीघा गै.मु.आवादी एवं 630/11 रकबा 08–00 बीघा गै.मु. आवादी के रूप में इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण	171 12/2/20

Scanned by CamScanner

क्रमांक/कोर्ट/2020/ दिनांक :-.............

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या......16...../2020 निर्णय दिनांकः-05/02/2020

अनवान तहसीलदार बनाम ग्राम पंचायत लौटोती

आदेश

(अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल-**लौटोती** व भू.अ. निरीक्षक-**निम्बोल** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जैतारण की अनुशंषा, खातेदारान् की प्रार्थना के आधार पर तहसील क्षैत्र जैतारण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटाईजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा एवं मौका स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में उत्पन्न अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में ग्राम-**लौटोती**, तहसील-जैतारण, जिला-पाली की जमाबन्दी संवत् **2073-2076** में निम्नलिखित खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तूर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय अगर आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत् सूक्ष्म खसरों / इन्द्राज का समामेलन करना

नाम ग्राम-**लौटोती** पटवार मण्डल - लौटोती, भू.अ.नि. - निम्बोल तहसील-जैतारण, जिला-पाली

वर्तमान खाते का विवरण					शुद्धि की प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
1	630/8	23-00	गै.मु. आबादी	निवास या वास (चारागाह के लिए नही)	1	630/8 630/11	15-00 8-00	गै.मु. आबादी गै.मु. आबादी	निवास या वास (चारागाह के लिए नही)
योग	1	23-00	गै.मु. आबादी		योग	2	23-00	गै.मु. आबादी	

नोट :- उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 630/8 को 630/8 व 630/11 में विभाजित करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 16:36:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: